पत्रॉक 80 / जि.उ.वि.प्र.आ.गो. / मध्यस्थता / 2022

प्रेषक,

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गोरखपुर।

सेवा में,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0
सी—1, विक्रान्त खण्ड—1, गोमतीनगर,
लखनऊ 226010

गोरखपुरः: दिनाँक 01 अप्रैल 2022

विषयः **जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोरखपुर में मध्यस्थता प्रकोष्ठ के स्थापना हेतु विज्ञापन माननीय राज्य आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉक सं0—5070 / एस.सी.डी.आर.सी. / अधि.101 / 16 दिनॉक 28 फरवरी 2022 के अनुपालन में मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रारूप एवं योग्यता संबंधी विवरण तैयार किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी से कार्यालय स्तर पर अनुरोध किया गया है तथा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करके समाचार पत्र (आज) में दिनॉक 01.04.2022 को प्रकाशित भी करा दिया गया है। उक्त विज्ञापन को माननीय राज्य आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को माननीय राज्य आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करा दी जाये ।

सादर।

संलग्नक — उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

1/4/2022

(चन्द्र प्रकाश अस्थाना)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गोरखपुर।

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

हरिओम नगर गेट नम्बर 2 के सामने सिविल लाइन्स,गोरखपुर।

पत्रॉक 77 **जि0उ0वि0प्र0आ0–गो0–2022** **दिनॉक** 31 **मार्च. 2022**

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संबद्व मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,2019 की धारा 75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम. 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या सी0पी0480/2021/84–2–2021–सी0एन01369528 के संदर्भ में ऐसे भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जो निम्नलिखित योग्यता को रखते है–

(1) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायघीश है,

(2) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य है,

(3) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायघीश., सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायघीश या किसी राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य है,

(4) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है,जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है,

(5) बार में कम से कम दस वर्ष का अनुभव के साथ वकील है,

(6) भारत के सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्व मध्यस्थ है,

(7) मध्यस्थता या सुलह में कम से कम पॉच साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हैया

(8) कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिव्त्त अधिकारी है,

2. मध्यस्थों के नियम और शर्ते ,मध्यस्थों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,2019 और उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) नियम,2020 और उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) विनियम.2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी।

3. पात्र व्यक्ति अपने आवेदन इस तरह से भेजेंगे कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिओम नगर गेट नम्बर 2 के सामने सिविल लाइन्स,गोरखपुर को अधिकतम दिनॉक 30.04.22 अपराहन 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाये, इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

4. चयन समिति उम्मीदवारों की क्षमता उपयुक्ता,सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए,आवेदनों की जॉच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी समुचित मानदंड को अपना सकती है।किसी भी तरह की सिफारिश आवदेक की अयोग्यता समझी जायेगी।

5. इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलंग्नक –1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(चन्द्र प्रकाश अस्थाना) 31.3.22

अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

गोरखपुर।

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोरखपुर से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिये मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन

एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो

1	आवेदक का नाम	
2	(अ) पिता का नाम (ब) माता का नाम	
3	वैवाहिक स्थितिः विवाहित या अविवाहित विवाहित है तो जीवनसाथी का नाम व व्यवसाय	
4	जन्मतिथि	
5	स्थाई पता	
6	मोबाइल नं0 व ई–मेल आई डी0 के साथ पत्राचार का पता	
7	वर्तमान व्यवसाय व वार्षिक आय	
8	शैक्षणिक योग्यता	
9	मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव	
10	क्या आपने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हाँ तो विवरण दें।	
11	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हाँ तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
12	(अ) स्थाई खाता संख्या (पैन) (ब) आधार संख्या	
13	क्या आवेदक पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है?	
14	क्या आवेदक पर किसी आपराधिक मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें।	
15	क्या आवेदक को किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा	
16	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नं0 1 से 15 के अन्तर्गत नही है।	

घोषणा–पत्र

एतत्द्वारा मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनाएँ अंकित की गई है वह सत्य है। भविष्य में यदि कोई सूचनाएँ गलत पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर और नाम

दिनाँक................................

स्थान.................................

टिप्पणियाँ–

(1) आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनाँक 30.04.2022 को शाम 05:00 बजें तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

(3) उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रसंगिक प्रावधानों और उसके तहत् बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।